श्री ललन राम (222 कुटुम्बा), माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल का उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	झारखण्ड राज्य के पलामू जिलान्तर्गत हड़ियाही डैम से बटाने दायें नहर तक पानी औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा, देव, मदनपुर बटाने नहर का कार्य अधूरा है, झारखण्ड सरकार से पहल कर बटाने नहर का कार्य पूरा करते हुए खेतों की सिंचाई करने की मांग करता हूँ।	झारखंड राज्य के पलामू जिला अंतर्गत बटाने जलाशय योजना के तहत निर्मित बटाने डैम (हड़ियाही डैम) से लगभग 03 कि०मी० दूरी पर बटाने पिक-अप बराज से बटाने दायाँ एवं बायाँ मुख्य नहर निकलती है। बिहार राज्य में दायाँ मुख्य नहर का कमाण्ड क्षेत्र औरंगाबाद जिला के अंतर्गत केवल देव प्रखण्ड तक सीमित है। वर्तमान अवधि तक (बिहार भू-भाग अतंर्गत) उल्लेखित नहर में जलश्राव प्रवाहित कर पाना संभव नहीं हो सका है। विदित हो कि वर्तमान में बटाने बायाँ मुख्य नहर से बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा एवं नवीनगर प्रखंड के अच्छादित कमाण्ड क्षेत्र में जल की उपलब्धता के अनुरूप आंशिक रूप से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाना संभव हो सका है। झारखंड राज्य में स्थित बटाने जलाशय योजना के अंतर्गत निर्मित बटाने डैम (हड़ियाही डैम) से प्रभावित रैयतों द्वारा अर्जित भूमि का पूर्ण मुआवजा भुगतान नहीं लिया गया है। साथ ही, अर्जित भूमि के मुआवजे की मांग का समाधान भी अब तक नहीं हो सका है। इसके परिणामस्वरूप प्रभावित रैयतों द्वारा डैम के **sluice gate** को उठाकर **weld** कर दिया गया, जिससे डैम में जल संचयन संभव नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त, झारखंड राज्य में बटाने दायाँ नहर के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 13.84 के बीच नहर निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। पहाड़ की तलहटी से होकर गुजरने वाले नहर खंड में आवश्यक निर्माणात्मक कार्य पूर्ण नहीं हो सके हैं। साथ ही, झारखंड राज्य क्षेत्र में

		उक्त नहर के कि०मी० 9.6 पर स्थित क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट के पुनस्र्थापन का कार्य भी लंबित है। वहीं, बिहार राज्य के भू-भाग में उक्त नहर के कि०मी० 13.84 से कि०मी० 31.46 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके बावजूद, झारखंड क्षेत्र में कार्य अधूरा रहने के कारण बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड अंतर्गत क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है। बटाने डैम (हड़ियाही डैम) तथा उससे निकलने वाली बटाने दायाँ एवं बायाँ नहर के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने के उद्देश्य से दोनों राज्य सरकारों के बीच दिनांक 26.06.2006 को समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के अंतर्गत अब तक झारखंड सरकार को 129.74 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उक्त मामले को पूर्वी श्रेत्रीय परिषद की आगामी बैठक की कार्यवाली सूची में सम्मलित किये जाने हेतु दिनांक 12.09.2024 एवं दिनांक 07.01.2026 को गृह विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–03–14 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को शून्यकाल सूचना का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

12

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–03–14 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–03–14 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल–03, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–03–14 / 2026 2835 पटना / दिनांक : 26/5/26

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव